BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A NO. 557 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION. 515/2023

IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY TO IA NO. 557 OF 2024 ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, PRAYAGRAJ IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 10.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPIES OF THE LETTERS DT. 11.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE SAID MAP HAS BEEN ANNEXED HEREWITH ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	
4.	COPY OF THE GO DT. 04.09.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE LETTER DT. 26.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

6.	COPY OF THE LETTER DT. 31.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	
7.	COPY OF THE LETTER DT. 15.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6	
8.	COPY OF THE LETTER DT. 13.05.2026 ANNEXED HEREWITH ANNEXURE R-7	
9.	COPY OF THE INQUIRY REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8	
10.	COPY OF THE LETTER DT. 15.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9	
11.	COPY OF THE NAZRI NAKSHA ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-10	
12.	COPY OF THE REVENUE RECORDS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-11	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 19.05.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. O. 557 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2023

NOTARIAL NOTARIAL
NOTARY G. S. Pathak Reg. No. 4193 Prayagraj GOVT. OF INDIA
18.5.26

IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENTS**

REPLY TO IA NO. 557 OF 2024 ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, PRAYAGRAJ IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 10.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Manish Kumar Verma, aged about 41 years, presently posted as District Magistrate, Prayagraj, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

NOTARY G. S. Pathak Reg. No. 4193 Prayagraj GOVT. OF INDIA

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted

by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to myknowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present IA the grievance the of the Applicant namely Harish-Chandra Research Institute (HRI), is that despite obtaining approval of the building plans from the Allahabad Development Authority (now PDA) on 24.04.2010, the construction activities of the Institute were halted pursuant to the interim orders passed by the Hon'ble Allahabad High Court dated 22.04.2011 and 16.08.2012 restraining construction within 500 meters of the Highest Flood Level (HFL) of river Ganga. That the Applicant has prayed to this Hon'ble Tribunal to allow the Applicant to continue and complete the unfinished construction works.

4. That the present matter was last listed for hearing on 10.02.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"3. Learned Counsel for State of UP is also directed to examine the plea taken by applicants in pending I.A. No.824/2025 & I.A. No.557/2024."

5. That the District Magistrate, Prayagraj, vide letters dated 11.05.2026 addressed to the Vice-Chairman, Prayagraj; the Executive Engineer, Irrigation Department, Prayagraj; and the Sub-Divisional Magistrate, Phoolpur, has called upon the aforesaid authorities to furnish their respective reports for ensuring necessary compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

   Copies of the letters dt. 11.05.2026 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

6. That in response to the aforesaid letter, the Executive Engineer, Flood Works Division, Prayagraj vide letter dt. 13.05.2026 has provided the following point-wise report:

   - That Harish-Chandra Research Institute, situated on the left bank of River Ganga, falls within the floodplain zone of River Ganga as per the coordinates/data provided by NIH Roorkee on the basis of the highest flood recorded during the last 100 years.
   - Copy of the google earth map depicting the coordinates of the said site. That the HRI coordinates of the said site are 25.41181.909 and it falls within the pillar no.'s 383, 384 and 385.

NOTARY GOVT. OF INDIA

A Copy of the said map has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

- The main building of Harish-Chandra Research Institute is situated at a distance of 50 meters from the pillar line marked between Pillar Nos. 383 and 385.

- Further the floodplain zone has beendeclared vide the Government Order dated 04.09.2020 issued by the Irrigation and Water Resources Department.

  A Copy of the GO dt. 04.09.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

- That at present, boundary pillars demarcating the floodplain zone have been installed along approximately 200 kilometers stretch of River Ganga in the District Prayagraj out of the total stretch of 250 kms. The installation of boundary pillars in the remaining 50 kilometers stretch within District Prayagraj is presently under progress as the same has encountered obstruction on account of protests and resistance from residents of the adjoining areas. The Flood Works Division, Irrigation and Water Resources Department, Prayagraj, is continuously undertaking monitoring and inspection of

NOTARY
GOVT. OF

the demarcation work. It is further submitted that upon completion of the floodplain demarcation exercise, it would be feasible to effectively regulate and restrain unauthorized construction activities, encroachments, commercial operations, and pollution-causing activities being carried out along both banks of River Ganga.

- It is further submitted that, for completion of the aforesaid work, the Irrigation Department vide letter dated 26.12.2025 has requested the District Magistrate, Prayagraj to issue necessary directions for deployment of adequate police force for ensuring smooth execution of the demarcation process. That thereof, the District Magistrate, Prayagraj vide letter dated 31.12.2025 addressed to the Police Commissioner, Prayagraj, requested provision of the requisite police force. It is submitted that the said police force has been deployed and the remaining demarcation work is likely to be completed by 15.06.2026 as per the letter dt 15.05.2026 of the Executive Engineer, Flood Works Division, Prayagraj.

NOTARY GOVT. OF INDIA

Copies of the letters dt. 26.12.2025, 31.12.2025 and 15.05.2026 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-4, ANNEXURE R-5 AND ANNEXURE R-6.**

A Copy of the letter dt. 13.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

7. That further the Sub- Divisional Magistrate, Phoolpur vide letter dt. 15.05.2026 has stated that an inquiry was conducted through the Tehsildar, Phulpur.

   A copy of the Inquiry Report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

8. The Tehsildar, Phulpur has mentioned the following in his inquiry report:-

   - Harish Chandra Research Institute, Chhatnag Road, Jhunsi, Prayagraj is situated in Village Ustapur Mahmoodabad Uparhar, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, District Prayagraj. The Harish Chandra Research Institute is already enclosed on all sides by a high boundary wall, within which research buildings, residential परिसर, bank premises, parks, and dense trees are situated.

A Copy of the letter dt. 15.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-9.**

A Copy of the Nazri Naksha has been annexed herewith as **ANNEXURE R-10.**

- In this regard, as per the Khatauni records of Village Ustapur Mahmoodabad Uparhar, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, District Prayagraj, Khata No. 301 is recorded in the name of Mehta Mathematical Research Institute, Uttar Pradesh, Government of India, comprising a total of 90 gata numbers with an area of 21.7430 hectares.

  A Copy of the revenue records have been annexed herewith as **ANNEXURE R-11.**

- Further, the distance between the boundary wall of Harish Chandra Research Institute and the interlocking road situated on the bank of River Ganga towards the southern side of the institute is approximately 80 meters.

NOTARY GOVT. OF INDIA

9. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

18.6.4

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Prayagraj on this 18 day of May, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY G. S. Pathak GOVT. OF INDIA

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
On 18.5.26 at AM/PM
Chaurish Kumar Verma
True & Correct which

G. S. Pathak
Public Notary
Alld., Prayagraj (U.P.)
18.5.26

Sign./T.I. Identified By
18.5.26
Ghanshyam Pathak
Public Notary Govt. of India
District Court, Allahabad
(M) 9336374565

ANNEXURE R-1

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक G00147/O.A.NO.515/2023 दिनांक 11/05/2026

To,
The Executive Engineer,
Irrigation Department, Prayagraj

Subject: Seeking report regarding HFL/floodplain status in I.A. No. 557 of 2024 in O.A. No. 515/2023 pending before the Hon'ble NGT.

In connection with the matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi relating to construction activities near river Ganga at Jhunsi, Prayagraj, you are requested to furnish a factual and technical report regarding the following:

1. Whether the project site falls within the floodplain/High Flood Level (HFL) restricted zone of river Ganga.
2. Certified copy of relevant floodplain/HFL maps and demarcation records.
3. Distance of the project site from the river/HFL line.
4. Any inspection carried out by the department in respect of the site.
5. Whether any recommendation/restriction/direction has been issued by the department regarding construction activities at the site.

The report along with authenticated records may kindly be submitted urgently within 3 days for placing the same before the Hon'ble Tribunal.

11.05.26

(Manish Kumar Verma)
District Magistrate
Prayagraj

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक G00148 / O.A.No.515/2023 दिनांक 11/05/2026

To,
The Vice Chairman,
Prayagraj Development Authority, Prayagraj

Subject: Seeking factual report/comments in respect of I.A. No. 557 of 2024 filed by Harish-Chandra Research Institute in O.A. No. 515/2023 pending before the Hon'ble National Green Tribunal.

An Interlocutory Application bearing I.A. No. 557 of 2024 has been filed by Harish-Chandra Research Institute (HRI), Prayagraj before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi seeking permission to continue and complete construction activities including hostel building, library extension, computer centre, lecture hall complex, conference centre and guest house in accordance with the approved Master Plan and permissions granted by competent authorities including PDA.In the aforesaid matter, response/status report is required to be filed on behalf of District Administration, Prayagraj before the Hon'ble Tribunal.Accordingly, you are requested to furnish a detailed factual report along with authenticated supporting documents on the following aspects:-

1. Copies/details of approved Master Plan, sanctioned maps and permissions granted to Harish-Chandra Research Institute.
2. Present status of construction activities and stage-wise details of completed/pending constructions.
3. Whether any part of the project falls within floodplain/HFL restricted zone or within coordinates identified under Ganga Rejuvenation Order, 2016.
4. Copies of notices/orders/directions issued by PDA concerning stoppage/regulation of construction activities at the site.
5. Whether any revised approvals/permissions have been sought or granted subsequently.
6. Compliance status of the project with applicable building bye-laws, zoning regulations and environmental conditions.
7. Details of any pending proceedings/violations/action initiated by PDA in relation to the project.
8. Any other relevant facts/documents necessary for effective adjudication of the matter before the Hon'ble Tribunal.

The report along with authenticated records may kindly be furnished within 3 days positively for timely filing of response before the Hon'ble Tribunal.The matter may kindly be treated as urgent.

11/5/26

(Manish Kumar Verma)
District Magistrate
Prayagraj

Scanned with OKEN Scanner

7207

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक G00149/O.A.NO.515/2023 दिनांक 11/05/2026

उपजिलाधिकारी
फूलपुर
प्रयागराज।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 515 ऑफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त ओ0ए0 में आई0ए0 संख्या 557 ऑफ 2024 एवं आई0 ए0 संख्या 824 ऑफ 2025 योजित की गयी है, जिसमें हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, छतनाग रोड, झूंसी, प्रयागराज द्वारा आई संख्या 557 ऑफ 2024 योजित किया गया है। प्रश्नगत संस्थान हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, छतनाग रोड, झूंसी, प्रयागराज की भौतिक स्थिति, राजस्व अभिलेख (गाटा संख्या, क्षेत्रफल इत्यादि) एवं गंगा नदी से दूरी की स्थिति की स्थलीय जांच कराते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को 03 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण की अगली सुनवाई की तिथि 20.05.2026 नियत है।

11.5.26

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner

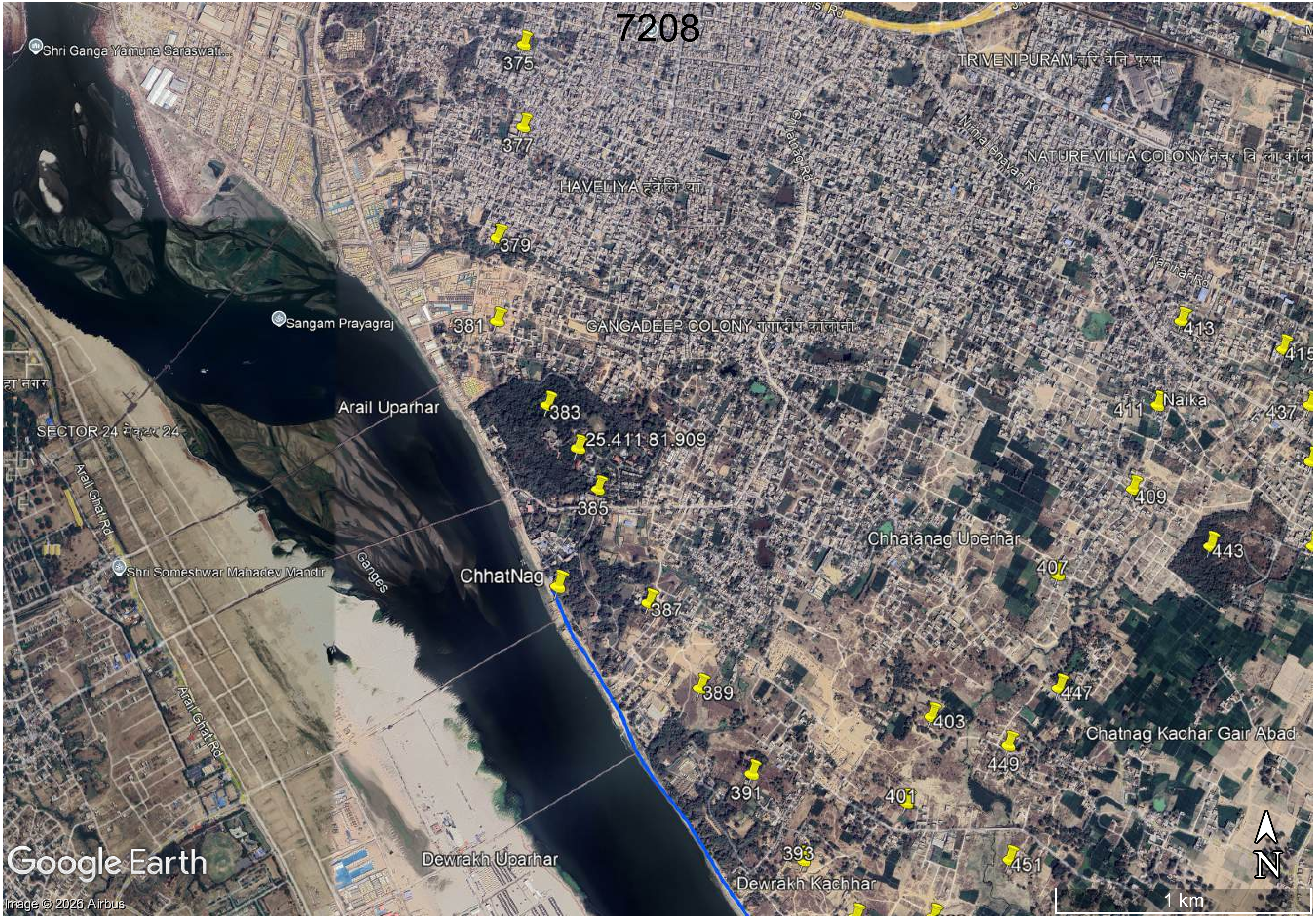
7208
375
377
379
381
383
25.411 81.909
385
387
389
391
393
401
403
407
409
411
413
415
437
443
447
449
451
Shri Ganga Yamuna Saraswat...
TRIVENIPURAM
NATURE VILLA COLONY
HAVELIYA
GANGADEEP COLONY
Sangam Prayagraj
Arail Uparhar
SECTOR 24 सेक्टर 24
Arail Ghat Rd
Shri Someshwar Mahadev Mandir
Ganges
ChhatNag
Chhatanag Uperhar
Naika
Chatnag Kachar Gair Abad
Dewrakh Uparhar
Dewrakh Kachhar
Google Earth
Image © 2026 Airbus
1 km
N

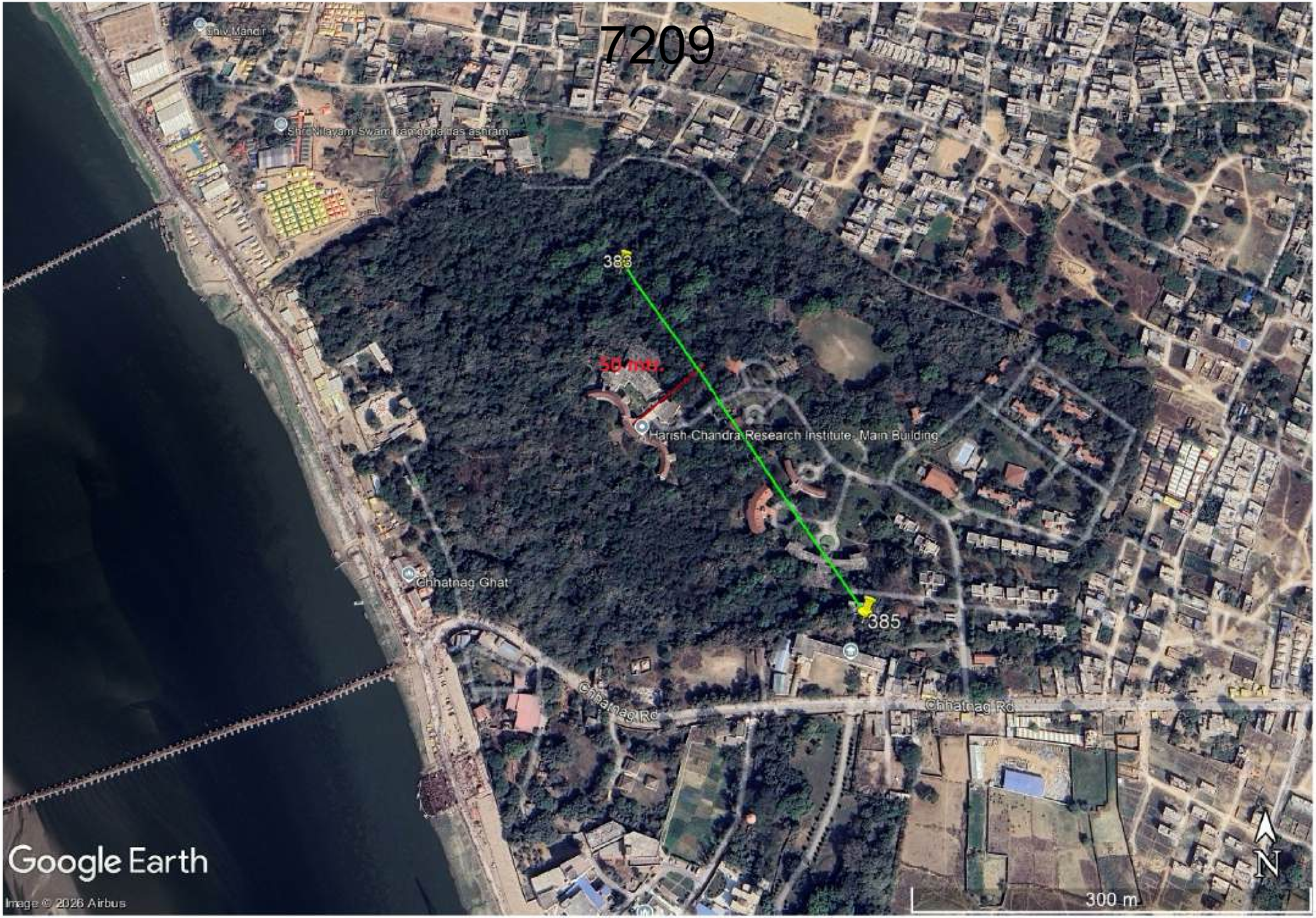

7209
Shiv Mandir
383
50 mtr.
Harish-Chandra Research Institute, Main Building
Chhatnag Ghat
385
Chhatnag Rd
Chhatnag Rd
Google Earth
Image © 2026 Airbus
300 m
N

ANNEXURE R-3 अनु-5

महत्वपूर्ण

संख्या-164 /2020 /2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0) /16टी0सी0

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर **2018** का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, **2020** द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया हैं।

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी0 तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फरूर्खाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	बिजनौर	संलग्रक-1 (क) एवं 1 (ख)
2.	अमरोहा	संलग्रक-2 (क) एवं 2 (ख)
3.	मुजफ्फरनगर	संलग्रक-3 (क) एवं 3 (ख)
4.	मेरठ	संलग्रक-4 (क) एवं 4 (ख)
5.	हापुड़	संलग्रक-5 (क) एवं 5 (ख)
6.	बुलंदशहर	संलग्रक-6 (क) एवं 6 (ख)
7.	अलीगढ़	संलग्रक-7 (क) एवं 7 (ख)
8.	काशीराम नगर	संलग्रक-8 (क) एवं 8 (ख)
9.	फरूर्खाबाद	संलग्रक-9 (क) एवं 9 (ख)
10.	कन्नौज	संलग्रक-10 (क) एवं 10 (ख)
11.	सम्भल	संलग्रक-11 (क) एवं 11 (ख)
12.	बदायूँ	संलग्रक-12 (क) एवं 12 (ख)
13.	शाहजहांपुर	संलग्रक-13 (क) एवं 13 (ख)
14.	हरदोई	संलग्रक-14 (क) एवं 14 (ख)
15.	उन्नाव	संलग्रक-15 (क) एवं 15 (ख)
16.	कानपुर	संलग्रक-16 (क) एवं 16 (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगीः-

(i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।

(ii) एम0ओ0इ0एफ0 एण्ड सी0सी0 की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।

(iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।

(iv) जैविक खेती।

(v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।

(vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर वाटर वे की डिसिल्टिंग।

(vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।

(viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।

(ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6(3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3187(इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्यूलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।

(ii). उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिंथ लेविल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।

(iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।

(v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।

(viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(ix) स्टोन क्रसिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इस सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त विन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुसंगत आख्या शासन को उपलब्ध करायेगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

12. ऐसे क्षेत्र जो बिन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) से अच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।

13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

17. नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधायें उपलब्ध न कराई जायें।

19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0 टी0 के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्वन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।

21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनिल गर्ग
सचिव।

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

नविन सब्जी मण्डी बक्शी बंध, प्रयागराज पिन : 211002
Email Id-ee.flood.alld@gmail.com

सेवा में,

1. जिलाधिकारी महोदय,
   प्रयागराज।
2. पुलिस आयुक्त,
   प्रयागराज।

पत्रांक :– 2315 / बाकाखप्र / राष्ट्रीय हरित / दिनांक 26-12- ,2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि OA संख्याः–515/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा नदियों के संरक्षण हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें NIH Roorkee द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर विगत 100 वर्षो में आयी बाढ़ को मानक मानकर उसके आधार पर नदी के दोनो किनारे पर पिलरों के Latitude एवं Longitude निर्धारित कर 28 फरवरी 2026 तक लगाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। पिलरो की स्थापना पर जनमानस द्वारा वाद–विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है जिसके लिए प्रशासन एवं पुलिस बल की आवश्यकता हैं। ज्ञातव्य हो कि मा0 न्यायालय द्वारा इसका सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय सीमा में कार्य पूर्ण कराकर मा0 न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सकें।

(डी0एन0 शुक्ल)
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज
26/12/25

पत्रांकः– 2315 / बाकाखप्र / राष्ट्रीय हरित / दिनांकः 26-12- ,2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज।
3. सहायक अभियन्ता –प्रथम, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाना कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज
26/12/25

Scanned with OKEN Scanner

7216

ANNEXURE R-5

प्राथमिकता

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट, प्रयागराज।

संख्या /जे0ए0–2025 दिनांक 31.12.25

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0–2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा नदियों के संरक्षण हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें NIH Rooekee द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर विगत 100 वर्षों में आयी बाढ़ को मानक मानकर उसके आधार पर नदी के दोनो किनारे पर पिलरों के Latitud एवं Longitude निर्धारित कर 28 फरवरी 2026 तक लगाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। पिलरों की स्थापना पर जनमानस द्वारा वाद–विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है जिसके लिए प्रशासन एवं पुलिस बल की आवश्यकता है। ज्ञातव्य हो कि मा0 न्यायालय द्वारा इसका सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0–2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 की छायाप्रति संलग्न करके इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त्।

भवदीय,

(सत्यम मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
प्रयागराज।

संख्या 1983 /जे0ए0–2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0–2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 के कम में सूचनार्थ।

31.12.25

(सत्यम मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
प्रयागराज।

B.E.B.

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-6

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 823 **/बा0का0खं0प्रया0/एन0जी0टी0/दिनांक :** 15.05.2026
विषय : ओ0ए0 संख्या 515/2023 के सम्बन्ध में।
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई **निर्माण खण्ड, वाराणसी।**

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करनें का कष्ट करे, जिसके कम में माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन एप्लीकेशन नं0 515/2023 के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनें हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में गंगा नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु कुल 1210 प्रीकास्ट आर0सी0सी0 पिलर लगाये जानें थें, जिसमें अप्रैल/2026 तक 900 पिलर लगाया जा चुका है। एवं शेष 310 पिलर के कार्य की प्रगति रिपोर्ट/वर्क प्रोग्राम संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी **अभियन्ता**
बाढ़ कार्य **खण्ड, प्रयागराज**

पत्रांक : /बा0का0खं0प्रया0/एन0जी0टी0/तद्दिनांक **:**
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

Progress Report

कार्य का नाम : जनपद प्रयागराज में गंगा नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु प्री–कास्ट आर0सी0सी0 पिलर लगानें का कार्य।

अनुबन्ध संख्या 08/एस0ई0/2025–26 | **कार्य प्रारम्भ की तिथि : 01.11.2025** | **कार्य समाप्ति की तिथि : 28.02.2026**
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 15.06.2026

क0सं0	कुल पिलर		अवशेष पिलर	ढलाई (Casting)				पिलर लगाना (Placing)			
	लक्ष्य	प्रगति	अप्रैल/2026	मई/2026		15, जून/2026		मई/2026		15, जून/2026	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1210	900	310	150	–	160	–	150	–	160	–

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

ANNEXURE R-7

सिंचाईन समृद्धि: समृद्धि

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

Email Id-ee.flood.alld@gmail.com

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांक : 797 /बा0का0खं0प्रया0 / N.G.T. /दिनांक : 13.05.2026

विषय : Seeking report regarding HFL/Flood plain Status in 1.A No. 557 of 2024 in O.A. No. 515/2023 pending before the Hon'ble NGT.

संदर्भ : आपका पत्रांक G00147/O.A. No.515/11.05.2026

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सदर्भित पत्र का अवलोकन करनें का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में वॉछित सूचना निम्नवत् है :–

क0 सं0	बिन्दु संख्या	उत्तर
1.	Whether the project site falls within the floodplain/High Flood Level (HFL) restricted zone of River Ganga.	गंगा नदी के बॉयें किनारे पर स्थित हरिश्चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट, है, जो कि एन.आई.एच. रूड़की द्वारा पिछले 100 वर्षों में आयी अधिकतम बाढ़ के आधार पर उपलब्ध कराये गये आकड़ों कोआर्डिनेट के अनुसार गंगा नदी के फलड प्लेन जोन के अंदर स्थित है।
2.	Certified copy of relevant floodplain/HFL maps and demarcation records.	संलग्न है।
3.	Distance of the project site from the rever/HFL line.	हरिश्चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मुख्य भवन गंगा नदी के बॉये किनारे से 50 मीटर पर स्थित है।
4.	Any inspection carried out by the department in respect of the site.	वर्तमान में फलड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु बाउन्ड्री पिलर लगाये जा रहे है, जिसका बाढ़ कार्य खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, प्रयागराज, द्वारा सतत् निगरानी एवं निरीक्षण किया जा रहा है।
5.	Whether any recommendation/ restriction/direction has been issued by the department regarding construction activities at the site.	इस सम्बन्ध में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग का पत्रांक संख्या 164/2020/2031/20–27–सिं0–4–07 (एन.जी.टी.)/16टी.सी0, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 शासनादेश में माननीय राष्ट्रीय हरित अतिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के कियान्वयन के कम में फलड प्लेन जोन घोषित किये जानें हेतु विस्तृत वर्णन स्पष्ट है। (प्रति संलग्न है)

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।

पत्रांक : /बा0का0खं0प्रया0 / N.G.T. /तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी।
3. सहायक अभियन्ता–प्रथम, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

/Gen.Letter/377

ANNEXURE R-8

महोदय

संलग्न पत्रांक G-00149/O.A.NO. 515/2023 दिनांक 11/05/2026 हरीश चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट छतनाग रोड़ झूंसी प्रयागराज की भौतिक स्थिति राजस्व अभिलेख (गाटा संख्या, क्षेत्रफल) एवं गंगा नदी से दूरी की स्थिति के संबंध में आख्या चाही गई जिसकी जाँच आख्या निम्न है का अवलोकन करने की कृपा करें।

1. हरीश चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट छतनाग रोड़ झूंसी प्रयागराज स्थित ग्राम अल्लापुर महमूदाबाद उपरहार परगना झूंसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज में अवस्थित है। हरीश चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट में पूर्व से ही चारों तरफ से ऊँचा बाउण्ड्रीवाल बना हुआ है। जिसके अंदर अनुसंधान भवन व आवासीय परिसर, बैंक परिसर, पार्क एवं घने वृक्ष स्थित है।

2. उक्त के क्रम में अभिलेख खतौनी ग्राम अल्लापुर महमूदाबाद उपरहार परगना झूंसी तहसील फूलपुर की खाता संख्या-301 पर दर्ज मेहता गणित शोध संस्थान उ०प्र० भारत सरकार के नाम कुल गाटा संख्या 90 रकबा 21.7430 हे० दर्ज अभिलेख है।

3. उक्त के क्रम में हरीश चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट की बाउण्ड्रीवाल के जानिब दक्षिण दिशा में स्थित गंगा नदी के तट पर बने इंटरलाकिंग सड़क से उक्त संस्थान की बाउण्ड्रीवाल की दूरी लगभग 80 मी० है।

आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक

1. अभिलेख खतौनी
2. नजरी नक्शा
3. मौके की फोटो

रा० नि० आख्या सादर प्रेषित
15-5-26

[signature]
सर्वेश कुमार
लेखपाल
क्षेत्र अल्लापुर महमूदाबाद
तह० फूलपुर, प्रयागराज
13-5-26

[signature]
13-5-26
मनोज कुमार त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र......झूंसी......
फूलपुर, प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज

पत्रांक 138 /रा0नि0 (कार्या)-जाँच रिपोर्ट- 2026 दिनांक 15 मई 2026

जिलाधिकारी,

प्रयागराज।

महोदय,

कृपया GO 149/OA no.515/2023 दिनांक 11.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 515 आफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2026, उक्त ओ0ए0 में आई0ए0 संख्या 557 आफ 2024 एवं आई0ए0 संख्या 824 आफ 2025 योजित की गयी है, जिसमें हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, छतनाग रोड, झूंसी प्रयागराज द्वारा आई संख्या 557 आफ 2024 योजित किया गया है। प्रश्नगत संस्थान हरीशं चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, छतनाग रोड झूंसी प्रयागराज की भौतिक स्थिति, राजस्व अभिलेख (गाटा संख्या क्षेत्रफल इत्यादि) एवं गंगा नदी से दूरी की स्थिति की स्थलीय जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार फूलपुर से जाँच करायी गयी। तहसीलदार फूलपुर ने अपनी जाँच आख्या में निम्नवत् उल्लेख किया है :-

1. हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट छतनाग रोड झूंसी प्रयागराज स्थित ग्राम उस्तापुर महमूदाबाद उपरहार परगना झूंसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज में अवस्थित है। हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूर्व से ही चारो तरफ से ऊँची बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जिसके अंदर अनुसंधान भवन व आवासीय परिसर बैंक परिसर, पार्क एवं घने वृक्ष स्थित हैं।
2. उक्त के क्रम में अभिलेख खतौनी ग्राम उस्तापुर महमूदाबाद उपरहार परगना झूंसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज की खाता संख्या 301 पर दर्ज मेहता गणित शोध संस्थान उ0प्र0 भारत सरकार के नाम कुल गाटा संख्या 90 रकबा 21.7430 हे0 दर्ज अभिलेख है।
3. उक्त के क्रम में हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट की बाउण्ड्रीवाल के जानिब दक्षिण दिशा में स्थित गंगा नदी के तट पर बने इण्टरलाकिंग सड़क से उक्त संस्थान की बाउण्ड्रीवाल की दूरी लगभग 80 मीटर है।

अतः तहसीलदार फूलपुर की उपर्युक्त आख्या के क्रम में आख्या सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

15/05/26

(अविनाश सिंह),
उपजिलाधिकारी फूलपुर,
प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-10

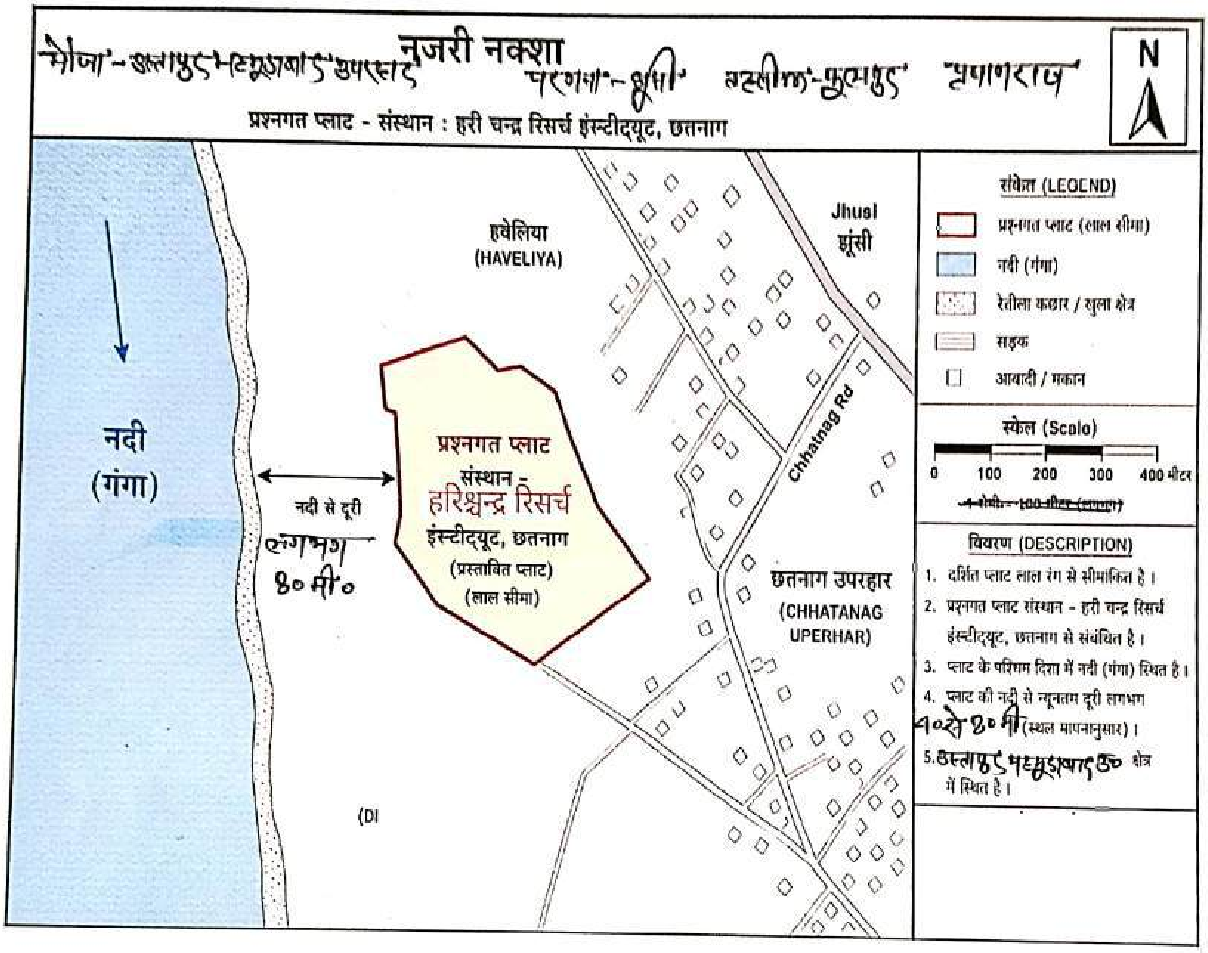

फूलपुर, प्रयागराज

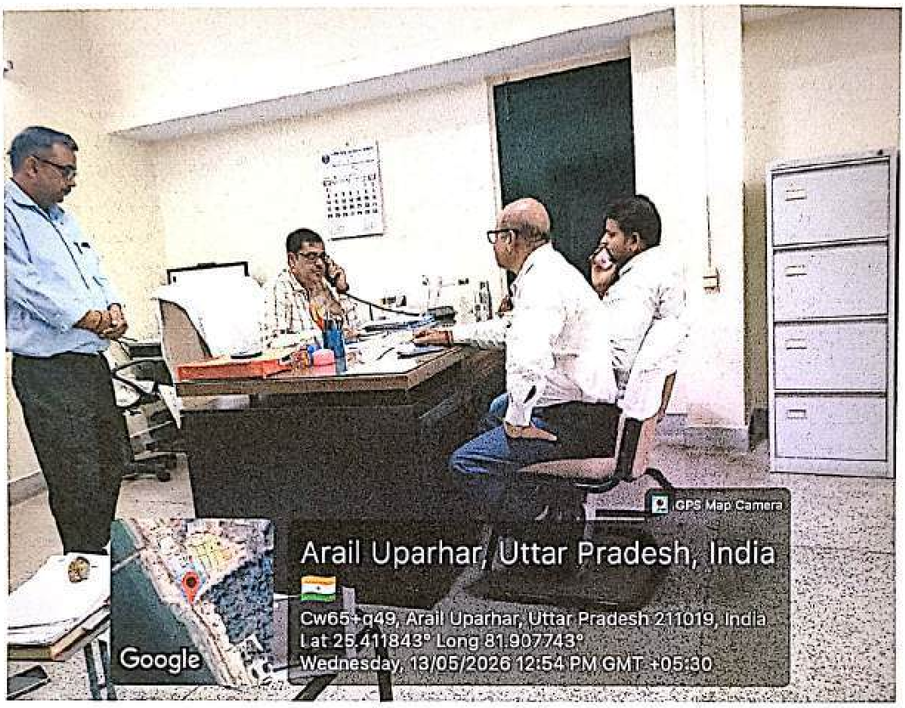

सतीश कुमार
लेखपाल
क्षेत्र [illegible]
तह० फूलपुर, प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner

7224

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ANNEXURE R-11

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

जनपद : प्रयागराज

ग्राम कोड : 161643

तहसील : फूलपुरं

फसली वर्ष : 1420-1425 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : उंस्तापुर महमूदाबाद उपरहार

खाता संख्या : 00301

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
मेहता गणित शोध स्ॉस्थान / उ.प्र.भारत सरकार / नि. ग्राम	119	0.3420	1424फ देखो	
	95मि./1	0.1140	मु.न.1715ता.फै.30/7/16का	
	98मि.	0.3420	आदेश खातासं.57पर दर्ज है	
	101/2	0.2740	30/7/16फीड दिनांक	
	183	0.4910	19/9/16	
	188	0.3420		
	114	0.2630		
	116	0.1370		
	80मि.	0.5830		
	81	0.0230		
	82	0.1830		

सर्वेश कुमार
लेखपाल
फूलपुर प्रयागराज

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
	83	0.1260		
	84	0.1830		
	85	0.4680		
	86	0.3420		
	88	0.2510		
	89	0.0910		
	90	0.0680		
	93मि.	0.4570		
	94/1	0.2630		
	94/2	0.2630		
	95/1मि.	0.0570		
	95/2	0.0570		
	95/3	0.2630		
	95/4	0.1710		
	96	0.1940		
	254	0.0340		
	97	0.2740		
	99	0.2850		
	100	0.2280		
	101मि.	0.2850		
	102	0.1480		
	103	0.1480		
	104	0.0910		
	105	0.2280		
	106	0.1830		

तह० फूलपुर, प्रयागराज

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
	107/1	0.3650		
	107/2	0.1600		
	107/3	0.2970		
	108	0.2740		
	110	0.2280		
	111	0.1370		
	112	0.8220		
	113मि.	0.2970		
	115/1	0.0460		
	115/2	0.6510		
	117	0.1260		
	118	0.6960		
	119/2	0.3080		
	120	0.3200		
	121	0.1710		
	182	0.6740		
	184	0.1140		
	185मि.	0.1480		
	186	0.1480		
	187	0.1030		
	189	0.2850		
	190	0.0680		
	191	0.1600		
	232	0.5940		
	233	0.1600		

सर्वेश कुमार
लेखपाल
तह० फूलपुर, प्रयागराज

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
	234	0.0460		
	235	0.8330		
	236	0.1940		
	237	0.1830		
	238	0.2280		
	239	0.2400		
	240	0.5830		
	241	0.1710		
	242	0.2970		
	243	0.1940		
	244	0.2050		
	245	0.1480		
	248	0.1600		
	249	0.0570		
	251	0.0570		
	253	0.0230		
	293मि.	0.1030		
	294	0.2850		
	295	0.2280		
	335	0.3140		
	337	0.3540		
	1180/1010	0.3650		
	87	0.0680		
	185मि	0.0460		
	336	0.1830		

सत्यापित

सर्वेश कुमार

तह० फूलपुर, प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner

णी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
	262.	0.1030		
	263	0.2890		
	339	0.1140		
	340	0.0680		
योग	90	21.7430		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

सत्यापित
13/05/26